(113)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1985-तीन/2006 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 6-9-2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 425/1998-99 अपील

छबिलाल पुत्र बॅशी काछी
निवासी ग्राम तरका
तहसील सिंहावल जला सीधी ---आवेदक

विरूद्ध

विश्राम पुत्र दुलारे कोल
ग्राम रकबा तहसील सिंहावलीजिला सीधी --अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश वेलापुरकर)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 15-09-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 425/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-9-2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार सिंहावल को प्रार्थना प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम तरका स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 83, 85 रकबा 0.21 है0 पर अनावेदक काविज है उसका कब्जा हटवाया जावे। तहसीलदार सिंहावल ने प्रकरण क्रमांक 7/अ-70/97-98 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 8-1-98 पारित करके बेदखली के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने प्रकरण क्रमांक 38/97-98 अपील

में पारित आदेश दिनांक 30-12-98 से अपील स्वीकार की एंव तहसीलदार सिंहावल का आदेश दिनांक 8-1-98 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 425/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-9-2006 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि भूमि सर्वे कमांक 83 एंव 85 के 0.21 हैक्टर पर बिना किसी अधिकार के अनावेदक ने आधिपत्य कर लिया था। जॉच में आधिपत्य पाया गया था जिसे तहसीलदार ने आदेश दिनांक 8-1-98 से अनुचित कब्जा पाकर बेदखली के आदेश दिये हैं। किसी भी भूमिस्वामी की भूमि पर दीगर व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लेने से म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत बेदखल किये जाने की व्यवस्था है। अनुविभागीय अधिकारी ने मनमाना निष्कर्ष निकाले हुये तहसीलदार के आदेश दिनांक 8-1-98 को निरस्त करने में भूल की है इन तथ्यों पर अपर आयुक्त ने भी ध्यान नहीं दिया है इसलिये निगरानी स्वीकार करके अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त के आदेशों को निरस्त किया जावे।

5/ अनावेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि नायब तहसीलदार ने दोनों पक्षों को पूर्व में सुना था तथा भूमि सर्वे कमांक 83 एंव 85 पर कब्जा दर्ज करने के तहसील न्यायालय से पूर्व में आदेश हुये है जिसके कारण आवेदक को कब्जे की जानकारी पूर्व से रही है । म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 में प्रावधान है कि बेजा कब्जे के 2 वर्ष के भीतर कब्जा हटाने की मांग की जा सकती है अन्यथा नहीं। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेशों को सही होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

6/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास

ने प्रकरण कमांक 38/97-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-12-98 के पद 4 में विवेचना करते हुये निष्कर्ष दिया है कि भूमि सर्वे कमांक 83 एंव 85 पर अनावेदक का कब्जा 30-40 वर्ष पूर्व से है। सीमांकन उसकी उपस्थिति में नहीं किया गया है। आवेदक को यह तथ्य अच्छी तरह से मालूम था कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का पुराना कब्जा है। दो वर्ष के अप्राधिकृत कब्जे को ही हटाने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को है। अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 425/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-9-2006 में इसी आशय का निष्कर्ष दिया है । अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास द्वारा आदेश दिनांक 30-12-98 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा आदेश दिनांक 6-9-2006 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 425/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-9-2006 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर